


29/2011 मासिक - इस्माइल

दिनांक	आज्ञा पत्र	
31-1-18	<p>बार बार छावाज दिलाई गई उन्पैलॉट एवं कॅपीलॉट के वकील कोई हाजिर नहीं किये। कले: कदम हाजरी एवं कदम पेशकी साक्षित होने से कॅपील रकबिज की जाती है। पगावली बाद तरलीक तकमील कबिलत दफ्तर है। निर्णय मुलायम गया।</p> <p> भूखण्ड अधिकारी एवं पदेन राज्य अपील अधिकारी सीकर</p> <p>सत्यमेव जयते</p>	

Web Copy - Not Official